



महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग की सेवा क्रमांक पीएसजी 21.2 डुप्लीकेट अंकसूची/प्रोविजनल उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन

प्रति,

कुलसचिव,
महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय,
उज्जैन (म.प्र.) 456010

महोदय,

निवेदन है कि मैं (नाम) ने महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय से.....परीक्षा नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में वर्ष में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की है। मुझे डुप्लीकेट अंकसूची/प्रोविजनल उपाधि की आवश्यकता है। आवश्यक विवरण निम्नानुसार है —

1. पूरा नाम (हिन्दी में)
2. पूरा नाम (अंग्रेजी में)
3. पिता का नाम (हिन्दी में)
4. पिता का नाम (अंग्रेजी में)
5. माता का नाम (हिन्दी में)
6. माता का नाम (अंग्रेजी में)
7. अन्तिम उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण परीक्षा का विवरण
 - 7.1 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण परीक्षा का नाम
 - 7.2 उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण करने का वर्ष
 - 7.3 संस्था का नाम
 - 7.4 विश्वविद्यालय का नाम
 - 7.5 अनुक्रमांक/नामांकनांक
 - 7.6 विषय
8. डुप्लीकेट अंकसूची/प्रोविजनल उपाधि प्राप्त करने का कारण
9. पत्र व्यवहार का अद्यतन पता
-
मोबा.नं..... ईमेल आईडी.....
10. निर्धारित शुल्क रूपये 500/- (पाँच सौ) डुप्लीकेट अंकसूची एवं रूपये 250/- (दो सौ पचास) प्रोविजनल उपाधि के लिए चालान/ऑनलाइन/नगद जमा करने का विवरण (पावती की प्रति संलग्न की जाए)
11. निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाएँ-
 - (1) जिस अंकसूची की डुप्लीकेट प्रति चाहिए उसकी मूल प्रति की छायाप्रति (यदि उपलब्ध हो)
 - (2) थाने में दर्ज की गई शिकायत अथवा नोटरी का रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (मात्र डुप्लीकेट अंकसूची हेतु)।

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोगार्थ

श्रीनेपरीक्षा वर्षमें
उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की है। छात्र का अनुक्रमांक एवं नामांकन है।
श्री को डुप्लीकेट अंकसूची/प्रोविजनल उपाधि जारी करने के आदेश देने
हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

प्रभारी

अनुभाग अधिकारी

कुलसचिव

उपाधि प्रमाण पत्र जावक क्र. दिनांक को जारी कर आवेदक
के पत्राचार पते पर प्रेषित की गई।

प्रभारी